

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 जुलाई 2013—आषाढ़ 18, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्र. 15271-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013) को उससे सम्बद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०१३

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ३) विधेयक, २०१३

वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- ३) अधिनियम, २०१३ है.

वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के लिये राज्य की संचित निधि में से ३२,७०,०७,९०,५०० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन हजार दो सौ सत्तर करोड़ सात लाख नब्बे हजार पांच सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

| (१) अनुदान का संख्यांक | (२) सेवायें और प्रयोजन | (३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | विधानसभा द्वारा अनुदत्त रुपये | संचित निधि पर भारत रुपये | योग रुपये | |
| | भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा | राजस्व | ० | २,१५,८५.००,००० | २,१५,८५.००,००० |
| ०१. | सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन | राजस्व | ६,०७,०२,१०० | ४,५०,००० | ६,११,५२,१०० |
| ०२. | सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय | राजस्व | २,५०,००० | ५६,५०,००० | ५९,००,००० |
| ०३. | पुलिस | राजस्व | २,४४,८०,९९,४०० | ० | २,४४,८०,९९,४०० |
| | | पूंजी | १०,५६,००,००० | ० | १०,५६,००,००० |

| (१) | (२) | (३) | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | रुपये | रुपये | रुपये | |
| ०४. | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | राजस्व पूंजी | १,०३,००,१०० १०० | २५,००० ० | १,०३,२५,१०० १०० |
| ०५. | जेल | राजस्व | २९,९६,००० | १५,००,००० | ४४,९६,००० |
| ०६. | वित्त | राजस्व पूंजी | ६३,६५,००० ३३,००,००,००० | ० ० | ६३,६५,००० ३३,००,००,००० |
| ०७. | वाणिज्यिक कर | राजस्व | २०,०७,९०,१०० | ० | २०,०७,९०,१०० |
| ०८. | भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन | राजस्व पूंजी | ८,८६,७५,००० २५,००,००,००० | ३६,५०,००० ० | ९,२३,२५,००० २५,००,००,००० |
| १०. | वन | राजस्व | ३०,०२,९९,१०० | ० | ३०,०२,९९,१०० |
| ११. | वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार | राजस्व | २८,९३,०४,७०० | ० | २८,९३,०४,७०० |
| १२. | ऊर्जा | राजस्व | २,३६,३९,९०,००० | ० | २,३६,३९,९०,००० |
| १३. | किसान कल्याण तथा कृषि विकास | राजस्व | १२,६८,१०० | ० | १२,६८,१०० |
| १४. | पशुपालन | राजस्व पूंजी | २,४२,३८,१०० ३,३०,००,००० | ० ० | २,४२,३८,१०० ३,३०,००,००० |
| १५. | अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता. | राजस्व | २६,९५,२०,१०० | ० | २६,९५,२०,१०० |
| १६. | मछली पालन | राजस्व | २,१८,३३,००० | ० | २,१८,३३,००० |

| (१) | (२) | (३) | | |
|--|--------|----------------|-------------|----------------|
| | | रुपये | रुपये | रुपये |
| १७. सहकारिता | राजस्व | ९६,४२,००० | ० | ९६,४२,००० |
| | पूँजी | ६,९८,००,००० | ० | ६,९८,००,००० |
| १८. श्रम | राजस्व | २०,७०,००० | ० | २०,७०,००० |
| | | | | |
| १९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | राजस्व | ६२,५७,७४,००० | ० | ६२,५७,७४,००० |
| | पूँजी | ५०० | ० | ५०० |
| २०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | राजस्व | ० | २,००,००,००० | २,००,००,००० |
| | पूँजी | १,५५,८४,४५,१०० | ० | १,५५,८४,४५,१०० |
| २१. आवास एवं पर्यावरण | राजस्व | १,५४,००,००० | ० | १,५४,००,००० |
| | पूँजी | २८,०३,००,००० | ० | २८,०३,००,००० |
| २२. नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय. | राजस्व | १२,८७,८०,००० | ० | १२,८७,८०,००० |
| | | | | |
| २३. जल संसाधन | पूँजी | ५०० | ० | ५०० |
| | | | | |
| २४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल | राजस्व | १,००,००,००,३०० | ० | १,००,००,००,३०० |
| | पूँजी | ३१,३९,०६,३०० | ० | ३१,३९,०६,३०० |
| २६. संस्कृति | राजस्व | १०,३२,९८,१०० | ० | १०,३२,९८,१०० |
| | पूँजी | २३,४५,००० | ० | २३,४५,००० |
| २७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) | राजस्व | १४,०३,४०,००० | ० | १४,०३,४०,००० |
| | पूँजी | ३५,२८,५६,००० | ० | ३५,२८,५६,००० |
| २९. विधि और विधायी कार्य | राजस्व | ५८,२१,२५,००० | ५,२३,६८,००० | ६३,४४,९३,००० |
| | | | | |

| (१) | (२) | (३) | | | |
|-----|---|--------|----------------|---|----------------|
| | | रुपये | रुपये | | |
| ३१. | योजना, आर्थिक और सांख्यिकी | राजस्व | २,४६,०७,००० | ० | २,४६,०७,००० |
| ३२. | जनसंपर्क | राजस्व | २०,००,००,००० | ० | २०,००,००,००० |
| ३३. | आदिम जाति कल्याण | राजस्व | ६,७०,९७,१०० | ० | ६,७०,९७,१०० |
| ३४. | सामाजिक न्याय | राजस्व | ५,००,००,००० | ० | ५,००,००,००० |
| ३६. | परिवहन | राजस्व | १,६८,५५,००० | ० | १,६८,५५,००० |
| | | पूंजी | ५,००,००,००० | ० | ५,००,००,००० |
| ३७. | पर्यटन | राजस्व | १०,६४,९६,००० | ० | १०,६४,९६,००० |
| ३९. | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण | राजस्व | १,१०,९८,९७,००० | ० | १,१०,९८,९७,००० |
| ४१. | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | राजस्व | ४०,०८,००,००० | ० | ४०,०८,००,००० |
| | | पूंजी | ८६,८९,५२,२०० | ० | ८६,८९,५२,२०० |
| ४२. | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल | पूंजी | २०० | ० | २०० |
| ४३. | खेल और युवक कल्याण | राजस्व | ५०,१५,१०० | ० | ५०,१५,१०० |
| ४४. | उच्च शिक्षा | राजस्व | १,८१,१७,५८,१०० | ० | १,८१,१७,५८,१०० |
| | | पूंजी | ६,००,००,००० | ० | ६,००,००,००० |

| (१) | (२) | (३) | | | |
|-----|---|--------|----------------|-------------|----------------|
| | | रुपये | रुपये | रुपये | |
| ४५. | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | राजस्व | ७,००,००,००० | ० | ७,००,००,००० |
| | | पूंजी | १,५०,००,०४,४०० | ५,००,००,००० | १,५५,००,०४,४०० |
| ४७. | तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास | राजस्व | २,६५,००,००० | ० | २,६५,००,००० |
| | | पूंजी | ५०,९१,७५,००० | ० | ५०,९१,७५,००० |
| ४८. | नर्मदा घाटी विकास | पूंजी | १,०३,२८,००,००० | ० | १,०३,२८,००,००० |
| ४९. | अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण | राजस्व | १५,५०,१०० | ० | १५,५०,१०० |
| ५०. | उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण | राजस्व | ३५,९०,००,००० | ० | ३५,९०,००,००० |
| ५१. | धार्मिक न्यास और धर्मस्व | राजस्व | ९,००,००,००० | ० | ९,००,००,००० |
| ५२. | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | राजस्व | ४७,४८,१५,००० | ० | ४७,४८,१५,००० |
| ५४. | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा | राजस्व | १८,५०,००,२०० | ० | १८,५०,००,२०० |
| ५५. | महिला एवं बाल विकास | राजस्व | ७३,५६,००० | ० | ७३,५६,००० |
| | | पूंजी | ६४,००,००,००० | ० | ६४,००,००,००० |
| ५६. | ग्रामोद्योग | राजस्व | ५,४२,००,२०० | ० | ५,४२,००,२०० |
| ५७. | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | पूंजी | २०,००,००,००० | ० | २०,००,००,००० |

| (१) | (२) | (३) | |
|-----|--|---|--------------------------------------|
| | | रुपये | रुपये |
| ५८. | प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय | राजस्व ३०,००,००,००० | ० ३०,००,००,००० |
| ६१. | बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय | राजस्व १,००,००,००,००० पूंजी १,०२,७७,२८,००० | ० १,००,००,००,००० ० १,०२,७७,२८,००० |
| ६३. | अल्प संख्यक कल्याण | राजस्व ७,४०,१०० | ० ७,४०,१०० |
| ६४. | अनुसूचित जाति उपयोजना | राजस्व १६,७९,९५,४०० पूंजी २८,९७,६७,५०० | ० १६,७९,९५,४०० ० २८,९७,६७,५०० |
| ६५. | विमानन | राजस्व २१,९६,१०० | ० २१,९६,१०० |
| ६६. | पिछड़ा वर्ग कल्याण | पूंजी ९,००,००,००० | ० ९,००,००,००० |
| ६७. | लोक निर्माण कार्य—भवन | पूंजी ८,४५,००,९०० | ० ८,४५,००,९०० |
| ६९. | सूचना प्रौद्योगिकी | राजस्व २०,००,००,१०० | ० २०,००,००,१०० |
| ७२. | भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास | राजस्व ३,४४,९६,००० | ० ३,४४,९६,००० |
| ७३. | चिकित्सा शिक्षा | राजस्व २,०१,५३,१०० पूंजी ६०,००,००० | ० २,०१,५३,१०० ० ६०,००,००० |
| ७४. | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | राजस्व ९६,०१,६५,००० | ० ९६,०१,६५,००० |

| (१) | (२) | (३) | | |
|--|------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | | रुपये | रुपये | रुपये |
| ७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | राजस्व | ४,३०,३२,१३,००० | ० | ४,३०,३२,१३,००० |
| ७७. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) | राजस्व | ७५,००,००० | ० | ७५,००,००० |
| | योग : | राजस्व २०,७५,३४,६५,८०० | २,२४,२१,४३,००० | २२,९९,५६,०८,८०० |
| | | पूंजी ९,६५,५१,८१,७०० | ५,००,००,००० | ९,७०,५१,८१,७०० |
| | वृहद योग : | ३०,४०,८६,४७,५०० | २,२९,२१,४३,००० | ३२,७०,०७,९०,५०० |

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ६ जुलाई, २०१३.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.